9/संख्या-1237/11-सं0वि0क0नि0-7-14-700(454)/2013

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

(1) समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर,2014

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक परिसम्पत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार सर्किल दर सूची में दर निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं विभिन्न उद्यमी संस्थाओं द्वारा उद्योग बन्धु की बैठकों में बार-बार इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि निगम एवं औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा विकसित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर बहु धाउन परिसम्पत्तियों वर्तमान बाजार मूल्य से कही अधिक हैं।

2- शासनादेश संख्या-661/11-सं0वि0क0नि0-7714-700(454)/13, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अपने जनपद की सर्किल दर के निर्धारण के समय गठित की जाने वाली समिति में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के स्थानीय अधिकारी को नामित कर लिया जाय जिससे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित की गयी औद्योगिक परिसम्पत्तियों की वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप सर्किल दर का निर्धारण हो।

3- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में परिसम्पत्तियों के सर्किल दरों के निर्धारण हेतु सम्बन्धित प्राधिकरणों तथा उद्योग विभाग के स्थानीय अधिकारियों को भी यथावश्यक जनपद की सर्किल दर के निर्धारण के समय गठित की जाने वाली समिति में नामित कर लिया जाय, जिससे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के सर्किल दर वास्तविक बाजार मूल्य के यथासम्भव समरूप हो।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
ह0/-
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

9/संख्या-1237(1)/क0नि0-7-11/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं आद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- प्रबंधक, निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

4- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।

5- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

ह0/-
(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।